पत्र संख्या–सं0का0–1/विविध–609/2004(पार्ट)–326/

बिहार सरकार

संसदीय कार्य विभाग

प्रेषक,

ए०के० सिन्हा
मुख्य सचिव, बिहार।

सेवा में,

सभी प्रधान सचिव/सचिव,
सभी विभागाध्यक्ष,
पुलिस महानिदेशक, बिहार,
सभी प्रमण्डलीय आयुक्त,
सभी क्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/ सभी पुलिस उप महानिरीक्षक,
सभी जिला पदाधिकारी,
सभी वरीय पुलिस अधीक्षक/जिला पुलिस अधीक्षक/रेल पुलिस अधीक्षक।

पटना, दिनांक–25 मार्च, 2013

248/08.04.1999
137–04.03.2006
199/23.03.2006
869/11.09.2006
862/15.05.2007
1293/27.7.2007
655/10.05.2010
147/20.01.2011
364/22.02.2012 के साथ भारत सरकार का पत्रांक 11013/4/11 स्था0 (क) दिनांक 01.12.2011

विषय : प्रशासन तथा संसद सदस्यों एवं राज्य के विधायकों के बीच सरकारी कार्य–व्यवहार के समुचित प्रक्रिया का पालन करने के क्रम में सांसदों/विधायकों/पार्षदों के साथ व्यक्तिगत मुलाकात, दूरभाष पर वार्ता, सौजन्यता प्रदर्शन तथा उनके पत्रों का ससमय उत्तर देने एवं उनके साथ होनेवाली बैठकों की सूचना तथा बैठक के स्थगन (यदि हो) की सूचना देने के सम्बन्ध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक संसदीय कार्य विभाग द्वारा समय–समय पर उपान्त में अंकित निर्गत पत्रों की ओर आपका निजी ध्यान आकृष्ट करते हुए कहना है कि जन प्रतिनिधियों के साथ मुलाकात हेतु समय देने, पत्रों का उत्तर देने, दूरभाष पर वार्ता करने तथा बातचीत में शिष्टता बरतने एवं उनके साथ होनेवाली बैठकों की सूचना ससमय निश्चित रूप से देना आवश्यक है। इस विषय पर पूर्व में दिये गये निदेशों के बावजूद जन प्रतिनिधियों से शिकायत प्राप्त हो रही है। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि निदेशों को गम्भीरता से नहीं लिया गया है।

2. आप अवगत हैं कि निर्वाचित प्रतिनिधि लोकतंत्र के स्तंभ हैं तथा इनकी भूमिका अत्यन्त ही महत्त्वपूर्ण है। इन्हें विधायी कार्यों के निष्पादन तथा जन समस्याओं के समाधान हेतु विभिन्न स्तरों के पदाधिकारियों से सूचनाओं एवं सहयोग की आवश्यकता होती है।

3. अतः, विचारोपरान्त निम्नांकित निदेशों को दुहराया जाता है :–

(i) सरकारी सेवकों को संसद और राज्य विधान मण्डल के सदस्यों को शिष्टता और सम्मान दर्शाना चाहिए;

(ii) सरकारी कर्मचारियों को संसद और राज्य विधान मण्डल के सदस्य जो कहना चाहते हैं उसे धैर्यपूर्वक सुन कर सावधानी पूर्वक विचार करना चाहिये। ऐसा करते समय सरकारी कर्मचारी को हमेशा उसके अपने उत्तम निर्णय और नियमों के अनुसार कार्य करना चाहिए;

(iii) संसद सदस्य/राज्य विधान मण्डल के सदस्य के साथ निर्धारित किए गए मिलने के समय में किसी परिवर्तन को शीघ्रता से सूचित किया जाना चाहिए जिससे किसी सम्भावित असुविधा से बचा जा सके। उनसे परामर्श करके, मिलने का नया समय तय किया जाए।

(iv) अधिकारी, उनसे मिलने आ रहे किसी संसद सदस्य/विधान मण्डल के सदस्य के साथ पूर्णतः शिष्टाचार से पेश आए और उनके आने और विदा होने के समय खड़ा हो जाए। संसद सदस्यों को लाने के लिए बन्दोबस्त किए जा सकते हैं जब वे भारत सरकार, राज्य सरकार अथवा स्थानीय सरकार के किसी अधिकारी से पूर्व में समय तय कर लेने के पश्चात् दौरा करते हैं। इन कार्यालयों में इन सदस्यों के वाहन प्रवेश की अनुमति की व्यवस्था, सुरक्षा अपेक्षाओं/प्रतिबंधों के अधीन की जाए;

(v) सरकारी कार्यालय द्वारा आयोजित सार्वजनिक समारोह में उस क्षेत्र के संसद सदस्य को निश्चित रूप से आमंत्रित किया जाए। सार्वजनिक समारोहों में उनके लिए समुचित एवं आरामदायक बैठने की व्यवस्था की जाए तथा इस तथ्य के मद्देनजर कि भारत सरकार के वरीयता क्रम में सचिव स्तर के अधिकारियों से ऊपर दिखाई दें एवं मंच पर उनके लिए बैठने की समुचित व्यवस्था हो। निर्वाचन क्षेत्र के समारोहों के लिए छपाए गए निमंत्रण पत्रों एवं

अखबारों के विज्ञापनों में उस निर्वाचन क्षेत्र के उन सदस्यों का नाम शामिल होना चाहिए जिन्होंने समारोहों में भाग लेने की पुष्टि की हो।

यह स्पष्ट किया जाता है कि यदि किसी संसद सदस्य का निर्वाचन क्षेत्र एक से अधिक जिलों में फैला हुआ हो तो संसद सदस्य को उन सभी जिलों, जो उसके निर्वाचन क्षेत्र के हिस्से हैं, के सभी समारोहों में निश्चित रूप से आमंत्रित किया जाना चाहिए।

(vi) जहां सरकार द्वारा बुलाई जानेवाली बैठक में संसद/विधान मंडल सदस्यों को भाग लेना हो तो इसका विशेष ध्यान रखा जाए कि दिनांक, समय, बैठक के स्थान इत्यादि के सम्बन्ध में इन्हें समय रहते नोटिस दिया जाए। यह भी सुनिश्चित किया जाए कि व्योरा दिए जाने का कोई भी मामला चाहे वह कितना भी गौण क्यों न हो, न छूट पाए। यह भी विशेषतः सुनिश्चित किया जाए कि –

(क) सार्वजनिक बैठकों/समारोहों के सम्बन्ध में सूचना शीघ्रतम पत्राचार साधनों द्वारा सदस्यों को भेजी जानी चाहिए ताकि वे समय पर पहुंच सकें,

(ख) सदस्य द्वारा सूचना की पावती की पुष्टि, सम्बन्धित अधिकारी/पदाधिकारी द्वारा की जानी चाहिए, तथा

(ग) सार्वजनिक बैठकों के स्थगन (यदि हो) की सूचना सभी प्रतिनिधियों को निश्चित रूप से ससमय दी जाय।

(vii) संसद सदस्यों तथा राज्य विधान मण्डल के सदस्यों के पत्रों की पावती तत्परता से अवश्य दी जानी चाहिए तथा कार्यालय प्रक्रिया नियमावली के संगत उपबन्धों के अनुसार जवाब समुचित स्तर पर शीघ्रता से भेजे जाने चाहिए।

(viii) स्थानीय महत्व के सम्बन्ध में सूचना या आंकड़े मांगने पर अवश्य ही संसद/विधान मंडल सदस्यों को उपलब्ध करा दी जाय। दी गई सूचना में, उठाए गए बिन्दुओं का विशिष्ट रूप से जवाब दिया जाना चाहिए। सूचना की एक सॉफ्ट प्रति सदस्य को ई–मेल द्वारा भी भेजी जा सकती है।

(ix) यदि संसद/विधान मंडल सदस्यों द्वारा मांगी गई सूचना नहीं दी जा सकती अथवा सूचना भेजने के संबंध में मना किया जाना हो, तो उच्च प्राधिकारी से अनुदेश लिए जाने चाहिए और जवाब में सूचना नहीं प्रस्तुत करने के कारणों को स्पष्ट कर दिया जाय;

(x) जहां भी सदस्य का पत्र अंग्रेजी में है और जवाब राजभाषा अधिनियम, 1963 की शर्तों और उसके अन्तर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार हिन्दी में दिया जाना अपेक्षित है, गैर हिन्दी भाषी क्षेत्रों के सदस्यों की सुविधा के लिए एक अंग्रेजी अनुवाद जवाब के साथ भेजा जाना चाहिए।

(xi) संसदीय समितियों/विधान मण्डलीय समितियों के संदर्भों पर तुरन्त ध्यान दिया जाना चाहिए;

(xii) अधिकारियों की अनुपस्थिति में, उनके लिए छोड़े गए दूरभाष संदेशों की अवहेलना नहीं करनी चाहिए और सम्बन्धित संसद सदस्य/राज्य विधान मण्डल सदस्य से जल्द–से–जल्द सम्पर्क करना चाहिए। कार्यालय मोबाईल टेलीफोनों पर आने वाले एस.एम. एस. और ई–मेलों का भी तुरन्त और वरीयता के आधार पर जवाब दिया जाना चाहिए;

(xiii) सभी विभाग/कार्यालय यह सुनिश्चित करें कि केन्द्र सरकार द्वारा प्रायोजित विभिन्न सरकारी योजनाओं के अन्तर्गत समितियों के अध्यक्ष/सदस्यों के रूप में सांसदों/विधायकों की शक्तियाँ, सम्बन्धित विभागों/कार्यालयों द्वारा स्पष्ट और पर्याप्त रूप से परिभाषित की जाएं; और

(xiv) एक सरकारी कर्मचारी को अपने व्यक्तिगत मामले को प्रायोजित करने के लिए संसद सदस्य/विधायक के पास नहीं जाना चाहिए चूंकि अन्य वाह्य प्रभाव या गैर सरकारी या राजनैतिक प्रभाव लाने का प्रयास या प्रभाव डालना, आचरण नियमावली जैसा कि अखिल भारतीय सेवा (आचरण) नियमावली, 1968 के नियम–18, केन्द्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियमावली के नियम–20 के अन्तर्गत निषिद्ध है।

4. सभी विभागों/कार्यालयों से यह सुनिश्चित करने का अनुरोध किया जाता है कि उपर्युक्त मूल सिद्धान्तों और अनुदेशों का सभी सम्बन्धितों द्वारा पूर्ण रूप से पालन सुनिश्चित किया जाए। निर्धारित दिशा–निर्देशों के उल्लंघन को गम्भीरता से लिया जाएगा।

अनुरोध है कि इन अनुदेशों को अपने अधीनस्थ सभी कार्यालयों के पदाधिकारियों/कर्मचारियों में परिचालित किया जाय एवं इसके कार्यान्वयन की समयबद्ध समीक्षा करते हुए प्रतिवेदन संसदीय कार्य विभाग को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाय।

विश्वासभाजन,

(ए०के० सिन्हा) 23/8/2013

मुख्य सचिव, बिहार।